

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2319
सोमवार, 04 अगस्त, 2025 / 13 श्रावण, 1947 (शक)

श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण

2319. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और कार्यरत श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों की कुल संख्या और उनके स्थान का ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में से प्रत्येक के समक्ष लंबित औद्योगिक विवाद मामलों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) निर्धारित समय-सीमा के बाद निपटान के लिए लंबित मामलों की संख्या का न्यायाधिकरण और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) प्रत्येक श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिए स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के पद-वार ब्यौरे सहित ही कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति और उनकी रिक्तियों की अवधि क्या है;
- (ङ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के बुनियादी ढाँचे के विकास, आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और सेवाप्रदाय में सुधार के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार का औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 22 केंद्र सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) हैं। इनकी सूची अनुबन्ध-I में दी गयी है।

(ख): सूचना अनुबन्ध-II में दी गयी है।

(ग): सूचना अनुबन्ध-III में दी गयी है।

(घ): सूचना अनुबन्ध- IV में दी गयी है।

(ङ): सूचना अनुबन्ध- V में दी गयी है।

(च): वर्तमान में, आंध्र प्रदेश में केन्द्र सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

“श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों” के सम्बन्ध में माननीय सांसद श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) के स्थान निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी का नाम	स्थान
1	अहमदाबाद	गुजरात
2	आसनसोल	पश्चिम बंगाल
3	बैंगलोर	कर्नाटक
4	भुवनेश्वर	ओडिशा
5	चंडीगढ़-।	चंडीगढ़
6	चंडीगढ़-॥	
7	चैन्नई	तमिलनाडु
8	धनबाद-।	झारखण्ड
9	धनबाद-॥	
10	एर्नाकुलम	केरल
11	गुवाहाटी	অসম
12	हैदराबाद	तेलंगाना
13	जबलपुर	मध्य प्रदेश
14	जयपुर	राजस्थान
15	कानपुर	उत्तर प्रदेश
16	कोलकाता(एनआईटी)	पश्चिम बंगाल
17	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
18	मुंबई-।(एनआईटी)	महाराष्ट्र
19	मुंबई-॥	
20	नागपुर	
21	नई दिल्ली-।	दिल्ली
22	नई दिल्ली-॥	

“श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों” के सम्बन्ध में माननीय सांसद श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष (2020-25) के लिए केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एनसी) वार लंबित मामलों का विवरण

कैलेंडर वर्ष-2020, आईटी अधिनियम, 1947 के अंतर्गत लंबित मामले

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एनसी/एनआईटी का नाम	मामले	आवेदन
		31 दिसंबर, 2020 तक लंबित	31 दिसंबर, 2020 तक लंबित
1	अहमदाबाद	1587	749
2	आसनसोल	333	38
3	बैंगलोर	209	360
4	भुवनेश्वर	462	324
5	चंडीगढ़-I	904	142
6	चंडीगढ़-II	656	164
7	चैन्नई	379	158
8	धनबाद-I	836	66
9	धनबाद-II	753	23
10	एर्नाकुलम	226	74
11	गुवाहाटी	43	2
12	हैदराबाद	1011	120
13	जबलपुर	1077	119
14	जयपुर	478	38
15	कानपुर	1084	161
16	कोलकाता (एनआईटी)	423	78
17	लखनऊ	560	58
18	मुंबई-I (एनआईटी)	305	408
19	मुंबई-II	530	531
20	नागपुर	420	139
21	नई दिल्ली-I	1429	2931
22	नई दिल्ली-II	1141	34

“श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों” के सम्बन्ध में माननीय सांसद श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष (2020-25) के लिए केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) वार लंबित मामलों का विवरण

कैलेंडर वर्ष-2021, आईटी अधिनियम, 1947 के अंतर्गत लंबित मामले

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी का नाम	मामले	आवेदन
		31 दिसंबर, 2021 तक लंबित	31 दिसंबर, 2021 तक लंबित
1	अहमदाबाद	1622	688
2	आसनसोल	363	40
3	बैंगलोर	226	391
4	भुवनेश्वर	537	339
5	चंडीगढ़-I	960	239
6	चंडीगढ़-II	647	199
7	चैन्नई	415	163
8	धनबाद-I	779	79
9	धनबाद-II	766	24
10	एर्नाकुलम	232	59
11	गुवाहाटी	46	4
12	हैदराबाद	1098	121
13	जबलपुर	1040	50
14	जयपुर	508	38
15	कानपुर	1123	173
16	कोलकाता (एनआईटी)	443	81
17	लखनऊ	568	57
18	मुंबई-I (एनआईटी)	310	352
19	मुंबई-II	531	560
20	नागपुर	430	68
21	नई दिल्ली-I	1604	4662
22	नई दिल्ली-II	1424	44

“श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों” के सम्बन्ध में माननीय सांसद श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष (2020-25) के लिए केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) वार लंबित मामलों का विवरण

कैलेंडर वर्ष-2022, आईटी अधिनियम, 1947 के अंतर्गत लंबित मामले

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी का नाम	मामले	आवेदन
		31 दिसंबर, 2022 तक लंबित	31 दिसंबर, 2022 तक लंबित
1	अहमदाबाद	1652	690
2	आसनसोल	393	37
3	बैंगलोर	256	449
4	भुवनेश्वर	587	358
5	चंडीगढ़-I	971	273
6	चंडीगढ़-II	627	260
7	चैन्नई	474	167
8	धनबाद-I	701	104
9	धनबाद-II	653	24
10	एर्नाकुलम	264	51
11	गुवाहाटी	63	5
12	हैदराबाद	1184	123
13	जबलपुर	857	67
14	जयपुर	498	41
15	कानपुर	1125	167
16	कोलकाता (एनआईटी)	480	102
17	लखनऊ	575	60
18	मुंबई-I (एनआईटी)	321	366
19	मुंबई-II	554	584
20	नागपुर	474	73
21	नई दिल्ली-I	1801	6835
22	नई दिल्ली-II	1570	42

“श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों” के सम्बन्ध में माननीय सांसद श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष (2020-25) के लिए केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) वार लंबित मामलों का विवरण

कैलेंडर वर्ष-2023, आईटी अधिनियम, 1947 के अंतर्गत लंबित मामले

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी का नाम	मामले	आवेदन
		31 दिसंबर, 2023 तक लंबित	31 दिसंबर, 2023 तक लंबित
1	अहमदाबाद	1611	665
2	आसनसोल	328	10
3	बैंगलोर	309	404
4	भुवनेश्वर	601	354
5	चंडीगढ़-I	805	231
6	चंडीगढ़-II	650	229
7	चैन्नई	469	165
8	धनबाद-I	742	103
9	धनबाद-II	628	26
10	एर्नाकुलम	308	66
11	गुवाहाटी	84	5
12	हैदराबाद	1091	118
13	जबलपुर	945	86
14	जयपुर	500	41
15	कानपुर	1048	178
16	कोलकाता (एनआईटी)	357	87
17	लखनऊ	584	65
18	मुंबई-I (एनआईटी)	335	329
19	मुंबई-II	605	608
20	नागपुर	521	78
21	नई दिल्ली-I	2088	8058
22	नई दिल्ली-II	1546	38

“श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों” के सम्बन्ध में माननीय सांसद श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष (2020-25) के लिए केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) वार लंबित मामलों का विवरण

कैलेंडर वर्ष-2024, आईटी अधिनियम, 1947 के अंतर्गत लंबित मामले

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी का नाम	मामले	आवेदन
		31 दिसंबर, 2024 तक लंबित	31 दिसंबर, 2024 तक लंबित
1	अहमदाबाद	1608	671
2	आसनसोल	259	9
3	बैंगलोर	385	414
4	भुवनेश्वर	635	370
5	चंडीगढ़-I	743	385
6	चंडीगढ़-II	640	226
7	चैन्नई	583	167
8	धनबाद-I	813	109
9	धनबाद-II	656	26
10	एर्नाकुलम	367	68
11	गुवाहाटी	95	21
12	हैदराबाद	897	115
13	जबलपुर	703	81
14	जयपुर	453	36
15	कानपुर	1068	179
16	कोलकाता (एनआईटी)	252	81
17	लखनऊ	533	59
18	मुंबई-I (एनआईटी)	358	337
19	मुंबई-II	641	612
20	नागपुर	553	85
21	नई दिल्ली-I	2410	7048
22	नई दिल्ली-II	1267	36

“श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों” के सम्बन्ध में माननीय सांसद श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष (2020-25) के लिए केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) वार लंबित मामलों का विवरण

कैलेंडर वर्ष-2025, आईटी अधिनियम, 1947 के अंतर्गत लंबित मामले

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी का नाम	मामले	आवेदन
		30 जून, 2025 तक लंबित	30 जून, 2025 तक लंबित
1	अहमदाबाद	1631	671
2	आसनसोल	193	8
3	बैंगलोर	765	72
4	भुवनेश्वर	636	372
5	चंडीगढ़-I	676	224
6	चंडीगढ़-II	613	194
7	चैन्नई	630	169
8	धनबाद-I	710	106
9	धनबाद-II	664	26
10	एर्नाकुलम	360	67
11	गुवाहाटी	86	21
12	हैदराबाद	967	115
13	जबलपुर	644	73
14	जयपुर	451	34
15	कानपुर	1083	172
16	कोलकाता (एनआईटी)	235	88
17	लखनऊ	507	59
18	मुंबई-I (एनआईटी)	361	338
19	मुंबई-II	678	607
20	नागपुर	419	145
21	नई दिल्ली-I	2450	7048
22	नई दिल्ली-II	1203	35

“श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों” के सम्बन्ध में माननीय सांसद श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष (2020-25) के लिए केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) वार लंबित मामलों का विवरण

आईटी अधिनियम के अंतर्गत 3 महीने से अधिक समय से लंबित मामले और आवेदन									
सीजीआईटी का नाम	01.01.2020 तक			01.01.2021 तक			01.01.2022 तक		
	आईटी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल	आईटी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल	आईटी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल
अहमदाबाद	1480	748	2228	1584	749	2333	1599	688	2287
आसनसोल	310	36	346	333	38	371	363	40	403
बैंगलोर	209	360	569	226	391	617	256	449	705
भुवनेश्वर	455	302	757	458	313	771	519	339	858
चंडीगढ़-I	868	135	1003	894	141	1035	960	234	1194
चंडीगढ़-II	645	108	753	656	164	820	647	199	846
चेन्नई	357	147	504	379	158	537	415	163	578
धनबाद-I	822	64	886	836	66	902	779	79	858
धनबाद-II	744	23	767	788	23	811	766	22	788
एर्नाकुलम	214	60	274	226	74	300	232	59	291
गुवाहाटी	32	1	33	43	2	45	46	4	50

आईडी अधिनियम के अंतर्गत 3 महीने से अधिक समय से लंबित मामले और आवेदन

सौजीआईटी का नाम	01.01.2020 तक			01.01.2021 तक			01.01.2022 तक		
	आईडी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईडी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल	आईडी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईडी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल	आईडी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईडी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल
हैदराबाद	1064	113	1177	1100	114	1214	1188	115	1303
जबलपुर	939	94	1033	977	114	1091	942	43	985
जयपुर	482	40	522	477	39	516	516	37	553
कानपुर	1030	162	1192	1084	161	1245	1123	173	1296
कोलकाता	415	81	496	423	78	501	443	81	524
लखनऊ	595	65	660	560	58	618	568	57	625
मुंबई-I	300	394	694	305	408	713	310	352	662
मुंबई-II	524	528	1052	526	553	1079	547	578	1125
नागपुर	420	139	559	430	68	498	474	73	547
नई दिल्ली-I	1384	2712	4096	1429	2931	4360	1604	4662	6266
नई दिल्ली-II	946	34	980	1083	34	1117	1320	42	1362

“श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों” के सम्बन्ध में माननीय सांसद श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलनाथू कलिसेट्टी द्वारा 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष (2020-25) के लिए केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) वार लंबित मामलों का विवरण

आईडी अधिनियम के अंतर्गत 3 महीने से अधिक समय से लंबित मामले और आवेदन									
	01.01.2023 तक			01.01.2024 तक			01.01.2025 तक		
सीजीआईटी का नाम	आईडी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईडी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल	आईडी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईडी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल	आईडी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईडी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल
अहमदाबाद	1606	689	2295	1596	663	2259	1601	671	2272
आसनसोल	406	24	430	328	10	338	259	9	268
बैंगलोर	309	404	713	385	414	799	442	435	877
भुवनेश्वर	571	337	908	588	348	936	602	357	959
चंडीगढ़-I	944	240	1184	796	227	1023	741	309	1050
चंडीगढ़-II	627	260	887	650	229	879	640	226	866
चेन्नई	474	167	641	469	165	634	583	167	750
धनबाद-I	701	104	805	742	103	845	813	109	922
धनबाद-II	653	24	677	628	26	654	656	26	682
एर्नाकुलम	264	51	315	308	66	374	367	68	435
गुवाहाटी	63	5	68	84	5	89	95	21	116
हैदराबाद	1261	115	1376	1170	109	1279	936	109	1045

आईडी अधिनियम के अंतर्गत 3 महीने से अधिक समय से लंबित मामले और आवेदन

सौजोआईटी का नाम	01.01.2023 तक			01.01.2024 तक			01.01.2025 तक		
	आईडी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईडी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल	आईडी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईडी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल	आईडी अधिनियम के अंतर्गत मामले	आईडी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन	कुल
जबलपुर	764	6	770	822	59	881	598	63	661
जयपुर	499	40	539	507	41	548	461	38	499
कानपुर	1125	167	1292	1048	178	1226	1068	179	1247
कोलकाता	480	102	582	357	87	444	252	81	333
लखनऊ	575	60	635	584	65	649	533	59	592
मुंबई-I	321	366	687	335	329	664	358	337	695
मुंबई-II	572	604	1176	572	604	1176	631	603	1234
नागपुर	521	78	599	557	152	709	419	145	564
नई दिल्ली-I	1801	6835	8636	2088	8058	10146	2410	7048	9458
नई दिल्ली-II	1512	41	1553	1537	38	1575	1261	31	1292

केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरणों के संबंध में माननीय सांसद श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलनायू कलिसेटी द्वारा दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों/राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी) वार पीठासीन अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी का नाम	पदधारी/यदि रिक्त हो तो लिंक अधिकारी का नाम	
1	आसनसोल	भरा हुआ	
2	बैंगलोर	भरा हुआ	
3	भुवनेश्वर	भरा हुआ	
4	चंडीगढ़-I	भरा हुआ	
5	चंडीगढ़-II	भरा हुआ	
6	चेन्नई	भरा हुआ	
7	धनबाद-I	भरा हुआ	
8	हैदराबाद	भरा हुआ	
9	जबलपुर	भरा हुआ	
10	जयपुर	भरा हुआ	
11	लखनऊ	भरा हुआ	
12	नागपुर	भरा हुआ	
13	नई दिल्ली-II	भरा हुआ	
14	मुंबई-II	भरा हुआ	
15	अहमदाबाद	रिक्त	अतिरिक्त प्रभार के आधार पर भरा गया
16	धनबाद -II	रिक्त	
17	एर्नाकुलम	रिक्त	
18	गुवाहाटी	रिक्त	
19	कानपुर	रिक्त	
20	कोलकाता (एनआईटी)	रिक्त	
21	मुंबई-I (एनआईटी)	रिक्त	
22	नई दिल्ली-I	रिक्त	

सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पद के लिए उपयुक्त अभ्यार्थियों की सिफारिश करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) का गठन किया गया है और वर्तमान में चयन प्रक्रिया चल रही है।

केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलरी) वार कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या

क्र. सं.	सीजीआईटी	न्यायालय सचिव		वैयक्तिक सहायक		प्रवर श्रेणी लिपिक		अवर श्रेणी लिपिक		मल्टीटास्किंग स्टाफ	
		स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	अहमदाबाद	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2	आसनसोल	1	0	1	1	1	0	2	0	5	1
3	बैंगलोर	1	0	1	1	1	0	2	0	3	0
4	भुवनेश्वर	1	0	1	0	1	1	2	0	5	3
5	चंडीगढ़-I	1	1	1	1	1	1	2	0	4	0
6	चंडीगढ़-II	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
7	चेन्नई	1	0	1	1	1	0	2	1	5	1
8	दिल्ली-I	1	0	1	0	1	1	2	1	4	1
9	दिल्ली-II	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
10	धनबाद-I	1	0	1	1	1	0	2	0	5	0
11	धनबाद-II	1	1	1	1	1	0	2	2	5	2
12	एर्नाकुलम	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
13	गुवाहाटी	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
14	हैदराबाद	1	0	1	0	1	1	2	0	5	3
15	जबलपुर	1	0	1	1	1	0	2	0	5	3
16	जयपुर	1	0	1	1	1	0	2	1	5	1
17	कानपुर	1	1	1	1	1	1	2	1	4	2
18	कोलकाता	1	0	1	1	1	0	2	1	5	1
19	लखनऊ	1	0	1	1	1	1	2	1	5	3
20	मुंबई-I	1	0	1	0	1	1	2	0	4	1
21	मुंबई-II	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0
22	नागपुर	1	0	1	1	1	0	2	0	5	0

वैयक्तिक सहायक, अवर श्रेणी लिपिक और मल्टी टास्किंग स्टाफ के रिक्त पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी गयी हैं और वर्तमान में चयन प्रक्रिया चल रही है। न्यायालय सचिव और प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पदोन्नति के पद हैं और इन्हें फीडर ग्रेड में उपयुक्त अभ्यार्थियों की उपलब्धता के आधार पर भरा जाता है।

केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरणों के संबंध में माननीय सांसद श्री जी. लक्ष्मीनारायण और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह- श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) वार वित वर्ष (2020-21 से 2024-25 तक) के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(रुपये में)

क्रम सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1	2020-21	16,00,00,000	16,00,00,000	12,94,36,000
2	2021-22	14,00,00,000	13,73,00,000	12,87,18,000
3	2022-23	15,27,00,000	15,19,00,000	15,14,11,000
4	2023-24	16,50,00,000	20,64,00,000	16,18,88,000
5	2024-25	21,12,00,000	19,07,00,000	16,44,63,000
